न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 07/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/18

सोहनलाल आदि बनाम गेवाराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,92ए,209 राज. काश्त. अधि.

उपस्थिति :—
1. श्री ओम धायल, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1)
2. श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिवक्ता अप्रार्थी(वादीगण)

—:: आदेश प्रार्थना पत्र ::—
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 30.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि —

1. प्रतिवादी सं. 1 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगंण के विरूद्ध न्यायालय में एक वाद पत्र प्रतिवादी गेवाराम की स्वयं अर्जित कृषि भूमि चक 7 जी.एम. तहसील श्री विजयनगर के खाता संख्या 12 प.नं. 184/17 मु.नं. 40 का किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3 कुल 3.719 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि तथा चक 13 बी.बी. तहसील पदमपुर का खाता संख्या 31 मु.नं. 63 प.नं. 0 का किला नं. 11 ता 17 का कुल 1.771 है. नहरी व खाता संख्या 67 मु.नं. 63 प.नं. 0 का किला नं. 6/1, 7/2, 8/1 का कुल 0.380 है. नहरी व चक 14 बी.बी. का खाता संख्या 18 मु.नं. 28 प.नं. 0 का किला नं. 17 ता 20, 24/3 का कुल 0.917 है. नहरी खातेदारी रकबा के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 (ए), 209 आर.टी.एक्ट पेश किया हुआ है। चक 7 जी.एम. का मु.नं. 40 की 3.719 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वः अर्जित सम्पति है। यह भूमि गेवाराम को दिनांक 16.07.1982 को आवंटित हुई थी। तत्पश्चात् गेवाराम द्वारा उक्त भूमि की किस्ते अदा की गई तथा माह जुलाई वर्ष 1996 में रकबा खातेदारी होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उक्त भूमि की समस्त किस्ते गेवाराम द्वारा जमा करवाई गई है और गेवाराम के जीवनकाल में वादीगण किसी प्रकार हक व हकूक की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा चक 13 बी.बी. तहसील पदमपुर का खाता संख्या 31 मु.नं. 63 प.नं. 0 का किला नं. 11 ता 17 का कुल 1.771 है. नहरी व खाता संख्या 67 मु.नं. . 63 प.नं. 0 का किला नं. 6/1, 7/2, 8/1 का कुल 0.380 है. नहरी व चक 14 बी.बी. का खाता संख्या 18 मु.नं. 28 प.नं. 0 का किला नं. 17 ता 20, 24/3 का कुल 0.917 है. नहरी खातेदारी रकवा को विरास्तन होना मानकर अपने हकों की घोषणा की मांग की गई है। उक्त भूमि श्री विजयनगर उपखण्ड के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से बाहर होने के कारण अस्वीकार कर वापिस लौटाने हेतु निवेदन किया।

2. वादी जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] कि प्रतिवादी द्वारा आधारहीन व विधिविरुद्ध प्रार्थना पत्र जो मात्र प्र[illegible]वश्यक विलम्ब व देरी करने के आशय से दायर किये [illegible] जाने योग्य है। जो कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रकरण [illegible] बावत विधि अनुरूप ही अपने हक अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण कानूनन दायर किया गया है जो कि वादग्रस्त दोन[illegible]कबा के समान पक्षकार समान अनुतोष चाहा होने से एक से अधिक वादग्रस्त संपदा कृषि भूमि जो किसी भी क्षेत्राधिकार के न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी एक में प्रकरण धारा 15 सिविल प्रक्रिया संहिता के विधि प्रावधान के अन्तर्गत पेश किया जा सकता है। जिस बावत वाद पत्र मद सं. 11 में उपबंधित विधि स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होकर विचारण योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

3. बहस वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। वकील उभयपक्ष अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी कथन किया वादी के द्वारा तहसील श्रीविजयनगर एवं पदमपुर की भूमि को लेकर भूमि को अपनी विरासतन सम्पत्ति दर्शाते हुए वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूमि तहसील श्रीविजयनगर चक 7 जीएम की भूमि प्रतिवादी सं. 1 को आवंटनशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें वादीगण प्रतिवादी के जीवनकाल में किसी प्रकार का हक एवं हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है शेष भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने के कारण प्रकरण न्यायालय में विचारण योग्य नहीं है। वाद पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण अपनी बहस में कथन किया कि समान पक्षकारों के मध्य एक समान अनुतोष को लेकर एक से अधिक क्षेत्राधिकार की भूमि को लेकर एक ही सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। भूमि में वादीगण का हिस्सा व अधिकारों की घोषणा बाबत साक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज तहसील श्रीविजयनगर चक 7 जीएम के मु.नं. 40 में दर्ज 3.719है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को पुश्तैनी पैतृक रकबा की आय से अर्जित होने तथा तहसील पदमपुर के चक 13 बीबी व 14 बीबी की भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने से भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं भूमि का विभाजन कर वादीगण के नाम से दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपत्ति उठाई गई है कि तहसील श्रीविजयनगर चक 7 जीएम की भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित भूमि है जिसमें वादीगण हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा पदमपुर तहसील की भूमि को लेकर सुनवाई का अधिकार न्यायालय को नहीं है। जिसके विपरीत वादीगण का कथन है कि एक समान अनुतोष और समान पक्षकारों के मध्य समान अधिकारिता के न्यायालयों में से एक स्थान पर वाद पत्र प्रस्तुत एवं विचारण किये जाने योग्य है।

5. न्यायालय वादीगण के इस तर्क से सहमत है कि समान पक्षकारों के मध्य समान अनुतोष पर आधारित दो पृथक पृथक क्षेत्राधिकार वाली भूमि के संबंध मेंसे किसी एक अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत एवं विचारण किया जा सकता है। लेकिन पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उजागर हुआ है कि चक 7 जीएम तहसील श्रीविजयनगर की विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 को आवंटित होकर खातेदारी हुई है जो कि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है। जिस बावत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में उक्त भूमि में से अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। चक 7 जीएम तहसील श्रीविजयनगर की भूमि को लेकर वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध वादकारण प्राप्त नहीं होने से वाद पत्र बोगस क्लैम पर आधारित होने के कारण न्यायालय धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत वादीगण को उक्त भूमि बाबत वाद चलाए जाने की अनुमति प्रदान नहीं करता। चूंकि तहसील श्रीविजयनगर के भूमि को लेकर वाद [illegible] विचारण नहीं किया जा रहा है तथा शेष तहसील पदमपुर भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्र[illegible] में नहीं हैं ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र खारिज[illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार [illegible] पत्र प्रतिवादी सं. 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 30.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर